स0स0–7 / बजट–46–59 / 2025–26 – 124 (7A)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण,भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार।**

पटना, दिनांक–20 / 03 / 2025

विषयः– **"विकसित बिहार के सात निश्चय" अंतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेगूसराय के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त रू0 560.9374 करोड़ के प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रू0 515,00,00,000/– (रुपये पाँच सौ पन्द्रह करोड़) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की प्रदत्त पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के अंतर्गत निर्माण कार्य में लम्बित विपत्रों के भुगतान हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से प्राप्त अग्रिम राशि से रू0 30,00,00,000/– (रुपये तीस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक के संबंध मे कहना है कि विभागीय राज्यादेश सं0–308(1), दिनांक–07 03 2019 द्वारा "विकसित बिहार के सात निश्चय" अंतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेगूसराय के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त रू0 560.9374 करोड के प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रू0 515,00,00,000/– (रुपये पॉच सौ पन्द्रह करोड) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।

2– इस योजना हेतु अब तक आवंटित राशि का विवरण निम्नरुपेण है–

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	राशि (रू0 मे)	आवंटनादेश सं0 एवं दिनांक
1	2020–21	40,70,00,000	स0–33(1), दिनाक–15 01 2021
2	2023–24	5,00,00,000	स0–528(7), दिनाक–23 02 2024
3	2024–25	1,00,00,000	स0–47(7), दिनाक–27 05 2024
4	2024–25	60,00,00,000	स0–135(7), दिनाक–21 08 2024
5	2024–25	65,93,00,000	स0–308(7), दिनाक–23 12 2024
6	2024–25	30,15,00,000	स0–592(7), दिनाक–28 03 2025
7	2025–26	15,00,00,000	स0–277(7), दिनाक–02 09 2025
8	2025–26	10,00,00,000	स0–353(7), दिनाक–06 10 2025
9	2025–26	20,00,00,000	स0–15(7A), दिनाक–14 01 2026
10	2025–26	10,00,00,000	स0–92(7A), दिनाक–24 02 2026
कुल योग–		**2,57,78,00,000/-**	

3– ज्ञातव्य है कि राज्य के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण कार्य मे लम्बित विपत्रो के विरुद्ध भुगतान हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से रू० 5,00,00,00,000/–(रूपये पॉच अरब) मात्र की अग्रिम की स्वीकृति का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद्, बिहार सरकार की बैठक दिनांक–29 01.2026 के मद सख्या–19 के रूप मे सम्मिलित एव स्वीकृत है। उक्त स्वीकृत अग्रिम राशि रू० 500.00 करोड के अधीन विपत्र कोड 8000–20–4210030500103–53–01 अतर्गत रू० 175.00 करोड मात्र की अग्रिम की स्वीकृति संबंधी विभागीय स्वीकृत्यादेश स०–57(7A), दिनाक–30.01.2026 निर्गत की जा चुकी है।

4– उक्त परिप्रेक्ष्य मे "विकसित बिहार के सात निश्चय" अंतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेगूसराय के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त रू0 560 9374 करोड के प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रू0 515,00,00,000/– (रुपये पॉच सौ पन्द्रह करोड) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की प्रदत्त पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के अंतर्गत निर्माण कार्य में लम्बित विपत्रो के भुगतान हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से प्राप्त अग्रिम राशि से रू0 30,00,00,000/– (रुपये तीस करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5– इस राशि के व्यय का वहन शीर्ष खण्ड–II-8000–बिहार आकस्मिकता निधि–मांग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–050–भूमि– 0103–नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा मेडिकल संस्थान हेतु, विपत्र कोड–8000–20–4210030500103 अन्तर्गत विषय शीर्ष 0103–53–01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में बिहार आकस्मिकता निधि से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा।

6– उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं0–308(1), दिनांक–07.03.2019 में निहित्त शर्तो के आधार पर किया जायेगा।

7– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

8– अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0–PBBPLA007 विपत्र कोड–00-8448001110002-0001के अन्तर्गत ledger ID मे जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

9– बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते मे प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

10– यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या–2561/वि0(2), दिनाक–17.04 98, 2880/वि0(2), दिनांक–06.05 06 एवं 2938/वि0(2), दिनांक–08.04.08, 2199/वि0, दिनांक–24 03 2017 एवं 12888/वि०, दिनांक–03 12 2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

11– प्रस्ताव एव प्रारूप मे सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

12– प्रारूप मे आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या–7/बजट–46–59/2025–26 के पृष्ठ–68/टि0 में प्राप्त है।

13– राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक–2779/वि0 दिनाक–19.03 2026 द्वारा निर्गत शिथिलीकरण आदेश के क्रम मे सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। इस सदर्भ मे महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14– यह मात्र व्ययादेश है, आवटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन

20/3/26

(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापाक –7/बजट–46–59/2025–26 – 124 (7A)/स्वा0, पटना, दिनांक– 20/03/2026

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमडलीय आयुक्त, मुंगेर/जिलाधिकारी, बेगूसराय/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बेगूसराय/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियो मे), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लिमिटेड, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20/3/26

सरकार के अपर सचिव।

पत्र सं०-एम-4-10/2026..2779../वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार ठाकुर,
संयुक्त आयुक्त ।

सेवा में,

वरीय कोषागार पदाधिकारी,
सचिवालय कोषागार,
विकास भवन, पटना ।

पटना-15, दिनांक.19-03-26

विषय :- **वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि की निकासी हेतु बंधेज शिथिलीकरण के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के निर्माण के लिए कुल ₹1108.07 करोड़ की निकासी हेतु वित्त विभागीय पत्रांक-1354 दिनांक-06.02.2026 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश को शिथिल करने का अनुरोध किया गया है।

समीक्षोपरान्त संदर्भित प्रस्ताव के आलोक में मात्र ₹530.00 करोड़ की निकासी हेतु वित्त विभागीय पत्रांक-1354 दिनांक-06.02.2026 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश को शिथिल किया जाता है।

उक्त राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-20 के विपत्र कोड-20-4210-03-050-0103, 20-4210-01-110-0111 एवं 20-4210-03-789-0101 के विषय शीर्ष-5301-मुख्य निर्माण कार्य मद में किये गये उपबंध से विकलनीय होगा ।

विश्वासभाजन

19/3/2026

(अजय कुमार ठाकुर)
संयुक्त आयुक्त

ज्ञापांकः-एम-4-10/2026 2779./वि०, पटना-15, दिनांक..19-03-26

प्रतिलिपिः-सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (संचिका सं०-07/बजट-46-43/2025-26 /25-26 में प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/3/2026

संयुक्त आयुक्त